



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 04.12.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ आपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप अलग-अलग 05 मामलों में कुल 06 अभियुक्तों को 14000/ रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित।

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान आपरेशन कन्विकशन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में अलग-अलग 05 मामलों में कुल 06 अभियुक्तों को 14000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

1. थाना बिसण्डा पर पंजीकृत अभियोग- 98/23 धारा 379 भादवि के अभियुक्त मुन्ना पुत्र रज्जन मुसलमान निवासी थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा को **2000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।
2. थाना पैलानी पर पंजीकृत अभियोग- 77/03 धारा 323/324/504 भादवि के अभियुक्त श्याम सिंह पुत्र उर्फ कल्लू पुत्र रणजीत सिंह निवासी कस्बा व थाना पैलानी जनपद बांदा को **4000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।
3. थाना चिल्ला पर पंजीकृत अभियोग- 73/13 धारा 504/506 भादवि के अभियुक्त संतोष पुत्र शिवशंकर सविता निवासी भवानीपुर थाना चिल्ला जनपद बांदा को **5000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।
4. थाना तिन्दवारी पर पंजीकृत अभियोग- 13/01 धारा 323/504/506 भादवि के अभियुक्त शिवप्रताप सिंह पुत्र मनमोहन सिंह निवासी अमलीकौर थाना तिन्दवारी जनपद बांदा को **1000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।
5. थाना तिन्दवारी पर पंजीकृत अभियोग- 170/02 धारा 323/504 भादवि के 02 अभियुक्तों 1-चुन्नु सिंह पुत्र अर्जुन सिंह व 2-रामकिशोर सिंह पुत्र अर्जुन सिंह निवासीगण जौहरपुर थाना तिन्दवारी जनपद बांदा को **1000-1000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।